

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रावतभाटा

सोहन लाल



बनाम

तहसीलदार रावतभाटा

वाद

नं.

84/2017 सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
<p>05/05/2017 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व पेशेदार रावतभाटा उपस्थित। पत्रावली वास्तुसाक्ष्य वादी दिनांक 25/03/2017 को पेश है।</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	
<p>05/05/2017 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी को न्यायालय द्वारा तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई। आवजुद वादी अधिवक्ता न्यायालय में अनुपस्थित। अतः वाद का अदम एजरी अदम पैरवी में जारी रखने पर खारीज किया जाता है। पत्रावली केसल नुमार डीकर नम्बर से कम है।</p> <p></p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	